He Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

्रप्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127] No. 127] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 18, 2003/फाल्गुन 27, 1924 NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 18, 2003/PHALGUNA 27, 1924

भारतीय रिजर्व बैंक

(विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 26 अगस्त, 2002

विदेशी मुद्रा प्रशंध (विदेशी मुद्रा के व्युत्पन्न संविदाएं) (संशोधन) विनिक्सावली, 2002

सा.का.नि. 222(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मई 03, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 25/आरबी 2000 में आंशिक संशोधन करते हुए रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदाएं) विनियमावली, 2000, में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामत: :—

2. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :--

यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा ष्युत्पन्न संविदाएं) (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2002 कहलाएगी और यह सरकारी गजट में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

3. संशोधन :--

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदाएं) विनियमावली, 2000, में अनुसूची 1 के अनच्छेद अ. 1 की मद (ज) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:—

"जिन संविदाओं में रुपया भी मुद्रा के रूप में शामिल हो, यदि एक बार वे निरस्त कर दी जाती हैं, तो रिजर्च बैंक द्वारा समय-समय पर 791 GI/2003 यथा अनुमत के सिवाय, पुनः नहीं लागू की जा सकेंगी परंतु परिपक्वता अथवा उससे पहले प्रचलित दर पर उसे रोल ओवर किया जा सकता है। निर्यात लेन देन के अंतर्गत आने वाली संविदाएं बिना किसी प्रतिबंध के निरस्त की जा सकेंगी अथवा प्रचलित दर पर रोल ओवर कर सकेंगी।''

[सं. फेमा 70/आरबी/2002] कि. ज. उदेशी, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

(Exchange Control Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 26th August, 2002

Foreign Exchange Management (Foreign exchange derivative contracts) (Amendment) Regulations, 2002

G.S.R. 222(E).—In exercise of the powers conferred by clause (h) of Sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in partial modification of its Notification No. FEMA 25/RB-2000 dated May 3, 2000, the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Foreign exchange derivative contracts) Regulations, 2000, namely:—

2. Short title and commencement :--

These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign exchange derivative contracts) (Third Amendment) Regulations, 2002 and these shall come into force from the date of publishing in the Official Gazette.

3. Amendment:-

In the Foreign Exchange Management (Foreign exchange derivative contracts) Regulations, 2000, the following shall be substituted in lieu of item (h) of paragraph A.1 of Schedule I.

"contracts involving the rupee as one of the currencies, once cancelled, shall not be re-booked except as otherwise permitted by the Reserve Bank from time to time although they can be rolled over at on-going rates on or before maturity. Contracts covering export transactions may be cancelled, re-booked or rolled over at on-going rates without any restrictions."

[No. FEMA 70/RB/2002]

K. J. UDESHI, Executive Director

अधिसूचना

मुंबई, 12 नवम्बर, 2002

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2002

सा.का.नि. 223(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ख) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का तथा दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति अंतरण अथा निर्गम) विनियमावली, 2000 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, नामत::—

1. नाम और प्रारंभ:--

- (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2002 कहलाएगी।
- (ii) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. विनियमावली में संशोधन :--

(i) विनियम 6 में उप-विनियम (2) (ii) के रूप में निम्नलिखित जोड़ा जाए :—

''मौजूदा अनिवासी शेयरधारी अतिरिक्त शेयरों के लिए आवेंदन कर सकते हैं और निवेशिती कंपनी इस शर्त पर उन्हें आवंटित कर सकती है कि अनिवासियों को जारी समग्र शेयर कुल प्रदत्त पूंजी के सेक्टोरल केप से अधिक नहीं होंगे''।

(ii) विनियम 6 के मौजूदा उप-विनियम 2 (ii) और 2 (iii) को क्रमश: उप-विनियम 2(iii) और 2(iv) क्रमांक दे दिया जाए।

[सं. फेमा 76/2002-आरबी]

कि. ज. उदेशी, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 12th November, 2002

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Second Amendment) Regulations, 2002

G.S.R. 223(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in partial modification of its Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000, the Reserve Bank of India makes the following Regulations to amend the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, namely:—

1. Short title and commencement:

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Second Amendment) Regulations, 2002.
- (ii) They shall come into force on their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of the Regulation :-

(i) In Regulation 6, the following may be added as sub-Regulation (2)(ii):—

"The existing non-resident shareholders may apply for issue of additional shares, and the investee company may allot the same subject to the condition that the overall issue of shares to non-residents in the total paid-up capital does not exceed the sectoral cap".

(ii) The existing Sub-Regulation 2(ii) and 2(iii) of Regulation 6, may be renumbered as Sub-Regulation 2(iii) and 2(iv) respectively.

[No. FEMA 76/2002-RB]

K. J. UDESHI, Executive Director

अधिसूचना

मुंबई, 25 नवम्बर, 2002

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी मुद्रा खाता) (संशोधन) विनियमावली, 2002

सा.का.नि. 224(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 के खंड (ख) और धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 10/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2000 को संशोधित करते हुए निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, नामत: :—

1. नाम और प्रारंभ

- (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी मुद्रा खाता) (छठा संशोधन) विनियमावली, 2002 कहलाएगी।
- (ii) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. विनियमावली में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2002 की अनुसूची के पैरा 1, उप पैरा (1अ), खंड (ii) में ''घरेलू टैरिफ क्षेत्र की इकाई को'' के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:

''घरेलू टैरिफ क्षेत्र की किसी इकाई द्वारा विशेष आर्थिक अंचल (एसईजेड) में स्थित किसी इकाई को आपूर्त किए गए मालों के लिए विदेशी मुद्रा में प्राप्त भुगतान भी।''

[सं. फेमा 77/2002-आरबी]

कि. ज. उदेशी, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 25th November, 2002

Foreign Exchange Management (Foreign Currency Account by a person Resident in India) (Amendment) Regulations, 2002

G.S.R. 224(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 9 and clause (e) of Sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No. FEMA 10/2000-RB dated 3rd May, 2000, Reserve Bank of India makes the following amendments to Foreign Exchange management (Foreign Currency Accounts by a person Resident in India) Regulations, 2000, namely:—

1. Short title and commencement

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) (Sixth Amendment) Regulations, 2002.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. Amendment to the Regulations

In the Foreign Exchange management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) Regulations. 2000 in the Schedule, in paragraph 1, in subparagraph (1A), in clause (ii), after the words "to a unit in Domestic Tariff Area", the following words shall be added, namely:

"and also payments received in foreign exchange by a unit in Domestic Tariff Area for supply of goods to a unit in Special Economic Zone (SEZ)."

[No.FEMA 77/2002-RB]

K. J. UDESHI, Executive Director

अधिसूचना

मुंबई, 17 जनवरी, 2003

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर किसी निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रतिभृति का अंतरण अवना निर्गम) (पहला संशोधन) विनियमावली, 2003

सा.का.नि. 225(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा 3 के खंड (ख) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर किसी निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, नामत:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर किसी निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) (पहला संशोधन) विनियमावली, 2003 कहलाएगी।
- (ii) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. विनियमावली में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर किसी निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (इससे आगे ''मूल विनियमावली'' नाम से अभिहित) के विनियम 5 में उप विनियम (5) के बाद निम्नलिखित उप विनियम जोड़े जाएंगे, नामत: :—

- "(6) फेरा 1973 अथवा फेमा 1999 के अंतर्गत वैध रूप से अनुमोदित पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक सेबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमाओं के अधीन, सेबी द्वारा अनुमोदित व्यापारगत सभी व्युत्पन्न संविदाओं का एक्सचेंज पर व्यापार कर सकता है।
- (7) अनिवासी भारतीय सेबी द्वारा समय-समय पर अनुमोदित व्यापारगत व्युत्पन्न संविदाओं में, भारत में धारित आईएनआर निधि में से गैर प्रत्यावर्तनीय आधार पर सेबी द्वारा निर्धारित सीमा तक निवेश कर सकता है। ऐसे निवेश प्रत्यावर्तन लाभों के लिए पात्र नहीं होंगे।"

[सं. फेमा 85/2003-आरबी]

कि, ज. उदेशी, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th January, 2003

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (First Amendment) Regulations, 2003

G.S.R. 225(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notifiction No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000, the Reserve Bank of India makes the following Regulation to amend the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, namely:—

1. Short title and commencement

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (First Amendment) Regulations, 2003.

(ii) They shall come into force on their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of the Regulation

- 2. In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (hereinafter referred to as "the Principal Regulations") in Regulation 5, after Sub-Regulation (5), the following Sub-Regulations shall be added, namely;
- "(6) A registered Foreign Institutional Investor (FII) having valid approval under FERA, 1973 or under FEMA, 1999 may trade in all exchange traded derivative contracts approved by SEBI from time to time subject to the limits as prescribed in by SEBI.
- (7) A Non-Resident Indian (NRI) may invest in exchange traded derivative contracts approved by SEBI from time to time out of INR funds held in India on non-repatriable basis subject to the limits prescribed by SEBI. Such investments will not be eligible for repatriation benefits."

[No. FEMA 85/2003-RB] K. J. UDESHI, Executive Director